**<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर</u>**

**<u>अपील/एल.आर/5037/2005/चित्तौडगढ़</u>**
प्रभुलाल पुत्र डालू गोदपुत्र छोगा, जाति सुथार निवासी नगरी, तहसील व जिला चित्तौडगढ़

अपीलार्थी

**बनाम**

1– रामलाल पुत्र कजोड गुर्जर
2– फूला पुत्र गोकल गुर्जर
3– काशीराम पुत्र कालू गुर्जर
4– प्रेमा पुत्र घासी पूर्बिया गुर्जर
5– काशीराम पुत्र गंगा गुर्जर
6– उदयलाल पुत्र भैंरू गुर्जर
7– मदनलाल पुत्र शंकरलाल ढोली
8– किशनलाल पुत्र नन्दा गुर्जर
9– हजारी पुत्र भैंरू रेगर
10–गणेश पुत्र उद्दा रेगर
11–गोपी पुत्र उद्दा रेगर
12–रतना पुत्र छोगा गुर्जर
13–नारू पुत्र कूका गुर्जर
14–भगवाना पुत्र कजोड गुर्जर
15 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चित्तौडगढ़

रेस्पोडेण्ट्स

**<u>एकलपीठ</u>**
**डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य**

**<u>उपस्थितः–</u>**
श्री भागचन्द भाटी, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स

**<u>निर्णय</u>**

दिनांक– 13–6–2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा दिनांक 29–9–2005 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम नगरी की आराजी खसरा नंबर 932 में से रकबा 0.50

हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन नियमों की पालना नहीं कर किया गया है। विवादित भूमि देवनारायण के नाम पर 50 वर्षो से है एवं कब्जा भी है। उक्त भूमि का अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी का आदेश निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट को किया गया आवंटन विधिवत रूप से आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–4–2005 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया। जिला कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–9–2005 द्वारा खारिज कर दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–9–2005 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आवंटन किए जाने से पूर्व आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की है। अधीनस्थ न्यायालयों ने भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि एवं देवस्थान की भूमि मानकर अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त किया है। जबकि अपीलाण्ट को किया गया आवंटन मंदिर की भूमि को छोडकर शेष भूमि का किया गया है। अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर निरंतर कब्जा काश्त रहा है। भूमि वक्त आवंटन सिवाय चक थी तथा आवंटन योग्य थी। वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज है एवं न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदारी मिलने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6– हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) तहत पेश कर ग्राम नगरी में स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 932 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि जो अपीलाण्ट को आवंटित की गई थी, उसे निरस्त कराने का प्रस्तुत किया। इस संबंध में **पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2034 में खसरा नंबर 932 रकबा 1.26 पर नाडा, रास्ता दर्ज है**। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–4–2005 में प्रश्नगत आराजी 4 बिस्वा में नाडी एवं 14 बिस्वा रास्ता दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की है एवं खसरा पत्रक 2034 के अनुसार विवादित भूमि पर देवनारायण का स्थान है एवं ऐसी भूमि को आवंटन करने से शान्ति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस कारण अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जब भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी तो किसी को उसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियम 14(4) में यह प्रावधान है कि –

**14- Conditions of Allotment-**

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules) either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

इस संबंध में आर.बी.जे. 2006(13) पृष्ठ 749 के निर्णय के Para 6 (8) में यह भी मत व्यक्त किया है कि–

"Hon'ble High Court has decided a principle that allotment obtained through fraud, misrepresentation and concealment of fact can be cancelled at any time even if khatedari rights have been obtained. This authority of Hon,ble High Court as reported in RRD 2002 page 01 is directly relevant in this case because this is a clear cut case of fraud and misrepresentation and concealment of facts and surprisingly this fraud is continuing even today and the respondent has failed to give his address even at the level of Board of Revenue."

7– प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी यही माना है कि पटवारी हल्का ने प्रार्थी आवंटी के नाम खाता संख्या 279 में 20 एयर सिंचित भूमि है। इस प्रकार आवंटी ने अपने पास उपलब्ध भूमि के तथ्य को छिपाया है एवं इसके अतिरिक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर देवस्थान के काम में आने से जिला कलेक्टर ने आवंटन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में भूमि मंदिर, नाडा एवं रास्ते की भूमि है, जिनका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन वर्जित है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती

निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णयों में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''।

**इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998** उनवानी **गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –**

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

**ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–**

Second appeal -Concurrent findings of law and facts-In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक के फलस्वरूप यह द्वितीय अपीलें सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8स– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)**
**सदस्य**